

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर—अटल नगर

क्रमांक 3147 / एफ—1—01/31 / ईस—2/2023,
प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक 27/07/2023

मुख्य अभियंता,
महानदी गोदावरी कच्छार,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :— महासमुंद जिले के विकासखण्ड—पिथौरा की देवगांव जलाशय के नहरों का जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य तथा पक्के कार्यों का सुधार कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।


संदर्भ :— प्र.अ.का पत्र क्र.—2409/बो.प्र./प्रशा.स्वी./मगोक/2022/1715, दिनांक 23.02.2023.

—00—

राज्य शासन एतद्वारा महासमुंद जिले के विकासखण्ड—पिथौरा की देवगांव जलाशय के नहरों का जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य तथा पक्के कार्यों का सुधार कार्य हेतु लागत राशि रु. 1729.64 लाख (रुपये सत्रह करोड़ उनतीस लाख चौंसठ हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. प्रस्तावित कार्यों के उपरांत योजना की रूपांकित सिंचाई 1886 हेक्टेयर में 1219 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति सहित पूर्ण रूपांकित क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण—पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग—एक के नियम—10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या—75 जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबाड़ से सहायता प्राप्त परियोजनाएं, 4702—लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {101}—सतही जल (9469)—नाबाड़ से ऋण सहायता के अंतर्गत, 0311—नाबाड़ पोषित योजनाएं (सामान्य) #97—निर्माण कार्य, 003—बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्र.—444/सी.एन.—31—00549/बजट—2/वित्त/चार/2023, दिनांक 11.07.2023 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित सुमित्रावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अनुसग पाण्डेय)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
(जल संसाधन विभाग)

पृ.क्र. 3148 / एफ-1-01 / 31 / एस-2 / 2023,

नवा रायपुर, दिनांक 27/07/2023

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला—महासमुंद (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.—एम 4-22 अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर—अटल नगर।
13. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन एवं भू—जल सर्वेक्षण मण्डल रायपुर, जिला—रायपुर (छ.ग.)।
14. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग महासमुंद, जिला—महासमुंद।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

15. आदेश फोल्डर।


विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
११ जल संसाधन विभाग

